खुर्शीद व अन्य

बनाम

उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य

28 सितम्बर, 2007

(सी.के. ठक्कर व अलतमसकबीर, न्यायमूर्ति)

धारा 320(1), (2) एवं (8)- अपराधों का शमन-

दोषसिद्धी अंतर्गत धारा 323/34 एवं 325/34 भारतीय दण्ड संहिता- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में समझौते हेतु याचिका प्रस्तुत एवं शमनीकरण हेतु अनुमति चाही गई-

निर्धारित: अपराध अंतर्गत धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता पीड़ित के अनुरोध पर शमनयोग्य न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं- अपराध अंतर्गत धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता न्यायालय की अनुमति से शमनयोग्य- अपराध के शमन की अनुमति प्रदान की गई एवं अभियुक्त की दोषमुक्ति का आदेश पारित-

प्रस्तुत अपील उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जिसमें भारतीय दण्ड संहिता में धारा 325 सपठित धारा 34 में पारित छः माह के कठोर कारावास एवं भारतीय दण्ड संहिता में अपराध 323 सपठित धारा 34 में तीन माह के कठोर कारावास से दण्डित

किया गया है तथा सत्र न्यायाधीश के द्वारा पारित आदेश को रुपान्तरित किया गया है-

अभियुक्त अपीलार्थी के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया - चूंकि अभियुक्त एवं पीड़ित परिवादी के मध्य परस्पर समझौता हो गया है, शमनीकरण स्वीकार किया जाए।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया:

1.1 धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय उपहति का अपराध धारा 320 की उपधारा(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत आता है। यह अपराध उस व्यक्ति के अनुरोध पर शमनीय है, जिसे उपहति कारित की गई है। न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं। चूंकि पक्षकारों ने समझौता कर लिया है, शमन की कार्रवाई विधि अनुरूप है। (अनुच्छेद 10) (493-स)

अनुमति प्रदान।

(1) यह अपील उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 627/2001 में पारित आदेश एवं निर्णय एवं आदेश दिनांक 24 मार्च 2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका अस्वीकार करते हुए द्वितीय सहायक सेशन जज रूड़की दोषसिद्धी एवं दण्डादेश दिनांक 28.01.1992 एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरिद्वार के सम्पुष्टि आदेश

9 जून 1992 को सम्पुष्ट किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य अभियोजन के अनुसार यह है, कि महमूद हसन 07.05.1989 को प्रातः 8 बजे प्रार्थना(नमाज़) कर अपने घर को वापस आ रहा था। उसे ज़हर, खुर्शीद नसीम एवं इस्लाम मिले और उन्होंने उस पर हमला(प्रहार) किया। जब महमूद हसन की पत्नी श्रीमती कुलसुम उर्फ भूरी ने अपने पति को बचाने का प्रयास किया, उस पर हमला किया गया।

(3) दोनों के उपहतियां आयी। उकत घटना को साक्षीगण इस्लाम, वसीम अहमद एवं अन्य द्वारा देखा गया। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन आरक्षी केन्द्र झाबरेडा में गुफरान अली पुत्र मोहम्मद हसन द्वारा पंजीबद्ध करायी गयी। आहतगण मोहम्मद हसन एवं उसकी पत्नी श्रीमती कुलसुम का चिकित्सीय परीक्षण सिविल अस्पताल रूडकी में किया गया। चिकित्सक द्वारा यह राय प्रकट की गई कि दोनों को कारित उपहतियां कुन्द एवं कठोर तत्व द्वारा कारित की गई। अनुसंधान के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 एवं 323 सपठित धारा 34 में दण्डनीय अपराधों के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये।

(4) विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं आदेश दिनांक 28 जनवरी, 1992 के द्वारा अभियुक्तगण खुर्शीद एवं इस्लाम (अभियुक्त

संख्या 2 व 4) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 सपठित धारा 34 के अंतर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 के अंतर्गत छः माह के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। दोनों दण्डादेश को निरन्तरता में निष्पादित किये जाने के आदेश दिये गये।

(5) विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त द्वारा सेशन न्यायालय, हरिद्वार में अपील प्रस्तुत की गई। विद्वान सेशन न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि स्थिर रखते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 सपठित धारा 34 में एक वर्ष के दण्डादेश को छः माह एवं पांच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34 में पारित छः माह के दण्डादेश को तीन माह के दण्डादेश में रूपान्तिरित किया गया। उच्च न्यायालय में उक्त दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरूद्ध चुनौती असफल रही एवं जैसाकि ऊपर उल्लेखित है, दोषसिद्धि एवं दण्डादेश जो अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया था उसकी सम्पुष्टि की गई।

(6) जब उक्त प्रकरण को अवकाशगृह में विराजित इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब पक्षकारों द्वारा यह कथन किया गया कि उनके मध्य समझौता हो गया है एवं अपराध शमन योग्य है, अतः समझौता रिकॉर्ड पर लेखबद्ध किया जाए। समझौता

पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया। परन्तु चूंकि कोई शपथ पत्र समर्थन में संस्थित नहीं किया गया था, अतः विद्वान अवकाशगृह न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को ''नियमित समझौता याचिका'' प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। इसके उपरान्त मामले को स्थगित किया गया।

(7) उक्त प्रकरण न्यायालय के समक्ष 04 अगस्त, 2006 को प्रस्तुत हुआ और उसमें निम्नानुसार आदेश पारित किया गया-

> ''इस न्यायालय के समक्ष समझौते का ज्ञापन प्रस्तुत किया जा चुका है जिसका प्रभाव अपराध के शमन की प्रार्थना है। उक्त समझौता ज्ञापन परिवादी एवं एक आहत साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया तथा अन्य आहत की मृत्यु हो चुकी है। आहत गुफरान को समन पत्र जारी हो, श्रीमती कुलसुम चूंकि वृद्ध है, अतः हम इस स्तर पर उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं समझते है। उपरोक्त गुफरान स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा। विलम्ब को क्षमा करने के प्रार्थना पत्र पर भी समन पत्रत्र जारी किया जाए। याचिकाकर्तागण द्वारा विचारण न्यायालय के संतोषप्रद बंध पत्र एवं जमानत पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें आगामी आदेश तक जमानत पर आजाद किया जाए''

(8) हमने दोनों पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना।

(9) यह कथन किया गया है कि दोनों पक्षकारों के मध्य परस्पर

सौहार्दपूर्ण रीति से समझौता निष्पादित हो चुका है। अतः शमन की अनुमति पदान की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी कथन प्रस्तुत किया गया है कि दोनों अपराध जिसमें अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया गया है, शमन योग्य है। धारा 320 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसे आगे ''संहिता'' कहा जाएगा) अपराधों के शमन के संदर्भ पर।

धारा 320 के उपबन्ध (1) निम्नानुसार हैः-

सारणी

अपराध	भारतीय दण्ड संहिता की धारा जो लागू होती है	वह व्यक्ति जिसकेद्वारा अपराध का षमन किया जा सकता है
1	2	3
किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्षित आषय से षब्द उच्चारित करना, आदि।	298	वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना आषयित है।
स्वेच्छया उपहति कारित करना।	323	वह व्यक्ति जिसे उपहति कारति की गई है।

प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना	334	यथोक्त
गंभीर तथा अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	335	यथोक्त
किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या परिरोध।	341, 342	वह व्यक्ति जो अवरूद्ध या परिरूद्ध किया गया है।
किसी व्यक्ति का तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध	343	परिरूद्ध व्यक्ति
किसी व्यक्ति का दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध	344	यथोक्त
हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	352, 355, 358	वह व्यक्ति जिस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है।
चोरी	379	चुरायी गई सम्पत्ति का स्वामी

सम्पति का बेईमानी से दुर्विनियोग।	403	दुर्विनियुक्त सम्पति का स्वामी।
वाहक, घाटवाल आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग	407	यथोक्त
चुरायी हुई सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि वह चुरायी गई है बेईमानी से प्राप्त करना	411	चुरायी गई सम्पत्ति का स्वामी
चुराई हुई सम्पति को, यह जानते हुए कि वह चुराई गई है छिपाने में या व्ययनित करने में सहायता करना	414	यथोक्त
छल।	417	वह व्यक्ति जिससे छल किया गया है
प्रतिरूपण द्वारा छल	419	यथोक्त
लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए सम्पत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना	421	उसके द्वारा प्रभावित लेनदार
अपराधी को देय ऋण या	422	यथोक्त

मांग को उसके लेनदारों के लिए उपलभ्य होने से कपटपूर्वक निवारित करना		
अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, कपटपूर्वक निष्पादन	423	उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति
सम्पत्ति का कपटपूर्वक अपसारण व छिपाया जाना	424	यथोक्त
रिष्टि, जब कारित हानि या नुकसान केवल प्राइवेट व्यक्ति को हानि या नुकसान है।	426, 427	वह व्यक्ति जिसको हानि या नुकसान कारित किया गया है।
जीव-जन्तु को वध करने या उसके विकलांग करने के द्वारा रिष्टि	428	जीव जन्तु का स्वामी
ढोर आदि का वध करने या उसे विकलांग करने के द्वारा रिष्टि	429	ढोर या जीवजन्तु का स्वामी
सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक	430	वह व्यक्ति जिसे हानि या नुकसान

मोडने के द्वारा रिष्टि जब उससे कारित हानि या नुकसान केवल प्राईवेट व्यक्ति को हुई हानि या नुकसान है।		कारित हुआ है
आपराधिक-अतिचार।	447	वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी सम्पत्ति है जिस पर अतिचार किया गया है।
गृह-अतिचार।	448	यथोक्त।
कारावास से दण्डनीय अपराध को (जो चोरी से भिन्न है) करने के लिए गृह अतिचार	451	वह व्यक्ति जिसका उस गृह पर कब्जा है जिस पर अतिचार किया गया है।
मिथ्या व्यापार या सम्पत्ति चिन्ह का उपयोग	482	वह व्यक्ति जिसे ऐसे उपयोग से क्षति या हानि कारित हुई है।
अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाये गये व्यापार या सम्पत्ति चिन्ह का कूटकरण	483	यथोक्त

कूटकृत सम्पत्ति चिन्ह से चिन्हित माल को जानते हुए विक्रय या अभिदर्शित करना या विक्रय के लिए या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए कब्जे में रखना	486	यथोक्त
सेवा संविदा का आपराधिक भंग।	491	वह व्यक्ति जिसके साथ अपराधी ने संविदा की है।
जारकर्म।	497	स्त्री का पति।
विवाहित स्त्री को आपराधिक आषय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना, य निरुद्ध रखना।	498	यथोक्त
मनहानि, सिवाय ऐसे मामलों के जो उपधारा(2) के नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 500 के सामने विनिर्दिष्ट किए गए हैं।	500	वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है।
मनहानिकारक जानी हुई बात	501	वह व्यक्ति जिसकी

को मुद्रित या उत्कीर्ण करना।		मानहानि की गई है।
मनहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को यह जानते हुए बेचना कि उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है।	502	यथोक्त
लोक-षांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आषय से अपमान।	504	अपमानित व्यक्ति।
आपराधिक अभित्रास, उस दषा के सिवाय जब वह अपराध सात वर्ष के लिए कारावास से दण्डनीय है।	506	अभित्रस्त व्यक्ति।
किसी व्यक्ति को यह विष्वास कराके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य।	508	वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है।

(10) धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता में दण्डनीय अपराध जिसमें उपहति कारित की गई है धारा 320 संहिता के उपबन्ध (1) की परिधि में

आता है। यह अपराध उक्त व्यक्ति के द्वारा शमन योग्य है जिसे उपहति कारित की गई है। न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं है। चूंकि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है, अतः शमन की कार्यवाही विधि अनुरूप है।

(11) उपरोक्त धारा की उपधारा (2) न्यायालय की अनुमति से अपराध के शमन का उपबन्ध करती है जो निम्नानुसार हैः-

सारणी

अपराध	भारतीय दण्ड संहिता की धारा जो लागू होती है	वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध का षमन किया जा सकता है
1	2	3
गर्भपात कारित करना	312	वह स्त्री जिसका गर्भपात कारित किया गया है
स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	325	वह व्यक्ति जिसे उपहति कारित की गई है।
ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने के द्वारा	337	यथोक्त

जिससे मानवजीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, उपहति कारित करना।		
ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने के द्वारा जिससे मानवजीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, घोर उपहति कारित करना।	338	यथोक्त
किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	357	वह व्यक्ति जिस पर हमला किया गया या जिस पर बल का प्रयोग किया गया था।
लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की सम्पति की चोरी,	381	चुरायी गई सम्पत्ति का स्वामी
आपराधिक न्यासभंग	406	उस सम्पति का स्वामी जिसके सम्बन्ध में न्यासभंग किया गया।
लिपिक या सेवक द्वारा	408	उस सम्पत्ति का

आपराधिक न्यासभंग		स्वामी जिसके संबंध में न्यास भंग किया गया है।
ऐसे व्यक्ति के साथ छल करना जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था	418	वह व्यक्ति जिसे छल किया गया है।
छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने अथवा मूल्यवान प्रतिभूति की रचना करने, या उसे परिवर्तित या नष्ट करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना	420	यथोक्त
पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना	494	ऐसे विवाह करने वाले व्यक्ति का पति या पत्नी
राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति, या किसी राज्य के राज्यपाल, या किसी संघ राज्य क्षेत्र के	500	वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है

प्रशासक, या किसी मंत्री के विरूद्ध, उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बाबत मानहानि, जब मामला लोक अभियोजक द्वारा किये गये परिवाद पर संस्थित है		
स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से शब्द कहना या ध्वनियां करना या अंग विक्षेप करना या कोई वस्तु प्रदर्शित करना या स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करना	509	वह स्त्री जिसका अनादर करना आशयित था या जिसकी एकांतता का अतिक्रमण किया गया था।

(12) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 में गंभीर उपहति कारित करने के दण्डनीय अपराध सहिंता की धारा 320 के उपबन्ध (2) के अनुसार लागू होती है। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 हमें दण्डनीय अपराध न्यायालय की अनुमति से शमन योग्य है।

(13) पक्षकारों द्वारा अपराध को शमित कर दिया गया है जिस प्रकार समझौता पत्र में उल्लेखित है कि आहत गुफरान अहमद एवं उनकी

माता कुलसुम उर्फ भूरी (आहत) अपीलार्थीगण (अभियुक्तगण) के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। पक्षकार पडौसी है और उनके मकान परस्पर एक-दूसरे के लगते हुए है और तदुपरान्त पिछले कई सालों से वह परस्पर शांतिपूर्वक तरीके से रह रहे है और उनके मध्य कोई विवाद नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि वह मधुर सम्बन्ध एवं सौहार्दता बनाये हुए है तथा परिवादी पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः यह प्रार्थना की गई है कि समझौते को स्वीकार किया जाए।

(14) प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों काके दृष्टिगत रखते हुए तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के उपरान्त यह देखते हुए कि उनके मध्य समझौता पत्र है। हमारी राय में न्याय की दृष्टि से यह उचित होगा कि हम भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 सपठित धारा 34 जैसाकि धारा 320 संहिता के उपबन्ध (2) में उल्लेखित किया गया है, शमन की अनुमति प्रदान करें। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के दण्डनीय अपराध को पहले ही पक्षकारों द्वारा शमित किया जा चुका है।

(15) संहिता की धारा 320 के उपबन्ध (8) के अनुसार ऐसे शमन का प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होती है जिसके विरूद्ध अपराध शमित कर दिया गया हो। परिणामतः उक्त अपराधों में शमन का प्रभाव यह रहता है कि अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाए। अन्य शब्दों में यदि एक

बार अपराध का शमन कर दिया गया है और आवश्यक अनुमति न्यायालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

(16) उपरोक्त वर्णित आधारों पर यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है और स्वीकार की जाती है। अपराधों के शमन की अनुमति दी जाकर अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किया जाने का आदेश दिया जाता है।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मोहिता भटनागर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।